



राजकीय पॉलीटेक्निक

आमवाला, देहरादून

प्रॉक्टोरियल/प्रवेश फार्म सत्र 20..... -
द्वितीय सेमेस्टर से अन्तिम सेमेस्टर के छात्र/छात्राओं हेतु

पाठ्यक्रम एवं सेमेस्टर जिसमें प्रवेश लेना है आरक्षण वर्ग

परिषद परीक्षा का अनुक्रमांक

1. छात्र/छात्रा का नाम

2. पिता का नाम

3. जन्म तिथि (अंकों में) (शब्दों में)

4. पत्र व्यवहार का पूर्ण पता

फोन

5. संस्था का नाम जहाँ से वोकेशनल ट्रेनिंग प्राप्त की है (प्रमाण पत्र की छाया प्रति संलग्न करें)

6. शैक्षिक प्रगति विवरण (शैक्षिक विवरण के प्रमाण-पत्र की स्वप्रमाणित प्राप्तियां संलग्न करें)

नवीनतम
रंगीन फोटो

क्र. सं.	उत्तीर्ण परीक्षा	संस्था का नाम	वर्ष	प्राप्तांक/पूर्णांक	परीक्षाफल	बैक पेपर विषय/विषयों के नाम (यदि कोई हो)
1	प्रथम सेमे.					
2	द्वितीय सेमे.					
3	तृतीय सेमे.					
4	चतुर्थ सेमे.					
5	पंचम सेमे.					

घोषणा पत्र

मैं शपथ पूर्वक घोषणा करता/करती हूँ कि उपरोक्त विवरण सत्य एवं सही हैं। मैं संस्था में पूर्ण रूप से अनुशासित होकर अध्ययन करूँगा/करूँगी तथा रैगिंग जैसे अमानवीय कृत्यों में संलिप्त नहीं रहूँगा/रहूँगी। एन्टी-रैगिंग वर्डिक्ट के संबंध में माननीय उच्चतम न्यायालय भारत सरकार द्वारा जारी किये गये प्राविधान के अनुसार मैंने रु. 10/- के नॉन जूडिशियल स्टाम्प पेपर पर नोटोराईज्ड अन्डरटेकिंग प्रवेश फार्म के साथ संलग्न कर दिया है। विवरण असत्य होने अथवा किसी भी तरह की अनुशासनहीनता किये जाने पर मेरा प्रवेश संस्थान द्वारा यदि निरस्त किया जाता है अथवा मेरी उपस्थिति परिषद द्वारा निर्धारित मानक (80 प्रतिशत) से कम होने पर परिषद की सेमेस्टर परीक्षा में बैठने से वंचित किया जाता है तो उसमें मुझे अथवा मेरे माता/पिता/अभिभावक को कोई आपत्ति नहीं होगी।

माता/पिता/अभिभावक के ह.

छात्र/छात्रा के ह.

दिनांक

दिनांक

कार्यालय प्रयोगार्थ

छात्र/छात्रा के द्वारा आवेदन पत्र में दिये गये विवरण की जाँच उसके परीक्षाफल/मूल प्रमाण पत्रों से भली-भांति कर ली गयी है जो पूर्ण रूप से सही है। छात्र/छात्रा को पाठ्यक्रम में प्रवेश देने की संस्तुत की जाती है।

ह. कक्षाध्यापक

ह. छात्र सहायक

छात्र/छात्रा से शिक्षण/छात्रनिधि/परीक्षा शुल्क रु. रसीद सं.

दिनांक द्वारा प्राप्त कर लिया गया है।

ह. लेखाकार

आदेश

प्रवेश समिति द्वारा संस्तुत उपरोक्त छात्र/छात्रा को पाठ्यक्रम के सेमेस्टर में प्रवेश की अनुमति प्रदान की जाती है।

विभागाध्यक्ष/विभाग प्रभारी

प्रॉक्टर

प्रधानाचार्य